

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईत्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

लोकासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

पंकरण संख्या :- 124/2024

आद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.



- 1 अनिल कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
- 2 कृष्ण लाल पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
- 3 मदन लाल पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।

बनाम

1. बख्तावरी पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
2. विजय नैण पुत्र मदनलाल पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
3. अरविन्द पुत्र उर्मिला देवी पुत्री मेहरचंद जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
4. रघुवीर पुत्र उर्मिला देवी पुत्री मेहरचंद जाति जाट साकिन गोलूवाला जिला श्रीगंगानगर।
5. सुरेन्द्र भादू पुत्र बद्री प्रसाद पुत्र माया देवी पुत्री मेहरचन्द जाति जाट शेरवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
6. मुकेश पुत्र जगदीश पुत्र हेतराम पुत्र ईशर जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
7. मुकेश पुत्र जगदीश पुत्र हेतराम पुत्र ईशर जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
8. सरजीज सिंह पुत्र चंदसिंह जाति नाई निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
9. मिठासिंह पुत्र चंदसिंह जाति नाई निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
10. काकू सिंह पुत्र चंदसिंह जाति नाई निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
11. जीतसिंह पुत्र चन्द सिंह जाति नाई निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
12. दलीप सिंह जाति नाई निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
13. रजनीश नाबालिग जरिये कु. वली सुभाषचन्द्र सरक्षक सरपरस्त पिता सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
14. अनसुईया नाबालिग जरिये कु. वली सुभाषचन्द्र सरक्षक सरपरस्त पिता सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
15. इन्द्रकंवर पत्नी सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी लालपुरा हाउस कोलोनी जयपुर।
16. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लीलावाली।
17. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 9.4.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिंह सिद्ध वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

1. इन्द्रकंवर पत्नी सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी जयपुर (फौत)

5 एमएमके		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
144/197	4	5/1/0.215, 5/2/0.038 गे.मु.रास्ता, 6/0.253, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.253,

2. अनिल कुमार पुत्र लालचन्द, कृष्ण लाल, मदन लाल पि.चेताराम बहिब जाति जाट निवासी चक 5 एमएमके किकरवाली

5 एमएमके		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
144/198	6	4/0.253, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गे.मु.खाला
145/198	5	1/0.253, 2/0.253, 3/0.253

  
महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया


अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है  
किर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित  
करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है  
तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश  
दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/5241 दिनांक 24.12.2025  
द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन  
करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का  
अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काश्त  
होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके  
वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज  मुब्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की  
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.4.2026 को खुले न्यायालय में जारी



  
(जय कौशिक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया